अतिमहत्वपूर्ण

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(76) ग्रावि–5/PMAY-G / Mont./आवाससमस्या/2018–19 जयपुर दिनांक : 07 मई, 2020

जिला कलक्टर
समस्त राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के क्रियान्वयन के क्रम में आवास सॉफ्ट के संबंध में आ रही कठिनाईया के संबंध मे।

प्रसंग :– जिला प्रभारी अधिकारियों की आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 5.2.2020 में अवगत कराये गये समस्याएं

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण का अधिकांश कार्य यथा पंजीकरण स्वीकृति, किश्त हस्तान्तरण आदि का कार्य आवास सॉफ्ट के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है, जिसके क्रियान्वयन में पंचायत समिति, जिला परिषद एवं राज्य स्तर पर विभिन्न कार्य सम्पादन की अधिकारिता आवंटित है। इसके संचालन में आ रही समस्याओं के निवारण हेतु विभागीय पत्राचार के अतिरिक्त राज्य स्तर पर वाट्सऐप, राज्य स्तर पर वाट्सऐप ग्रुप संचालित है एवं राज्य स्तर से जिला समन्वयक नियुक्त किये गये है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर समस्याओं के निराकरण हेतु सपोर्ट ई – मेल (support-pmayg@gov.in) की व्यवस्था निर्धारित है, जिसके यहां से फोन (1800-11-8111) या ई – मेल करने पर टोकन नम्बर आवंटित किया जाता है

जिला योजना प्रभारियों की मासिक बैठक दिनांक 5.2.2019 में आवास सॉफ्ट से संबंधित समस्याओ की समीक्षा कर जिलों से निस्तारित नहीं की गई समस्याओ का विवरण प्राप्त किया गया एवं पुनः दिनांक 29.4.2020 को आवास सॉफ्ट से संबंधित समस्याओ को वाटसऐप ग्रुप पर शेयर करने हेतु आग्रह किया गया ।

उक्त सभी प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय स्तर पर निम्नानुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है एवं इनके अतिरिक्त किसी भी तरह का प्रकरण विभाग के ध्यान में नहीं लाया गया है :–

1. False Success के 786 प्रकरण (सूची संलग्न) निस्तारण हेतु ग्रामीण विकास मत्रालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
2. टोकन नम्बर T23057 जिला चुरू का ग्रामीण विकास मत्रालय को निस्तारण हेतु प्रेषित है।

उक्त सॉफ्ट संबंधी तकनीकी समस्याओ / प्रकरणो के अतिरिक्त यदि अन्य कोई प्रकरण हो तो त्वरित निस्तारण हेतु उक्तानुसार कार्यवाही कराते हुये योजना की प्रगति की सतत समीक्षा कर वर्ष 2019–20 की शेष स्वीकृतियां मय प्रथम किश्त दिनांक 8.5.2020 तक आवश्यक रूप से जारी कराना सुनिश्चित करे, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय से वर्ष 2020–21 की केन्द्रीयांश की प्रथम किश्त जारी कराई जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि